



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 मार्च 2015—चैत्र 2, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. एफ-65-01-2011-तीन-339.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक एफ-65-01-2011-तीन-1843, दिनांक 9 नवम्बर 2011 द्वारा हरदा जिले के नगरपालिका परिषद् हरदा के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद पर निर्वाचित अभ्यर्थी श्री दीपक सोनी, का नाम “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 486, दिनांक 9 नवम्बर 2011 में अधिसूचित किया गया था।

माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश हरदा के न्यायालय की निर्वाचन याचिका प्रकरण क्रमांक 34/2011 में पारित आदेश दिनांक 29-01-2014 में दिये निर्देशानुसार नगरपालिका परिषद् हरदा के आम निर्वाचन 2011 के अंतर्गत दिनांक 03-11-2011 को सम्पन्न हुए चुनाव में अनावेदक क्रमांक 03 (दीपक कुमार सोनी) वहीं वहीं गिरी वार्ड हरदा के पार्षद पद का निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्ररूप-24 दिनांक 05-11-2011 को निरस्त करते हुए, अनावेदक क्रमांक 03 के बाद सर्वाधिक मत प्राप्त श्री अशोक कुमार मोयल को वार्ड क्रमांक 12 का पार्षद पद हेतु निर्वाचित घोषित किया गया है।

अतः माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश हरदा के पारित आदेश दिनांक 29-01-2014 के पालन में वार्ड क्रमांक-12, नगरपालिका परिषद् हरदा के पार्षद, श्री दीपक सोनी के स्थान पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 45 के उपबन्ध के अन्तर्गत श्री अशोक कुमार मोयल को नगरपालिका परिषद् हरदा, जिला हरदा के वार्ड क्रमांक-12 के पार्षद के रूप में एतद्वारा निर्वाचित घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।